

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम चित्तौड़गढ़ (राज.)

.....ओमप्रकाश बनाम.....मेखला.....

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. नम्बर 24/1204

तारीख हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

27/01/24

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रालेरेए के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज रजिस्टर हो।

प्रार्थी श्री / ~~श्रीमती~~ ओमप्रकाश

पिता श्री गंगाराम जी ब्राह्मण

निवासी-शम्भुपुरा..... तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ ने ग्राम

सामरी (पण्डा सामरी) स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर.....खाता संख्या 465
में अंकित आराजी कीता 04 कुल रकबा 0.1100 हे. तथा खाता
संख्या 33 में अंकित आराजी कीता 03 कुल रकबा 0.9700 हे.
कुल कीता $4+3=07$ कुल रकबा 1.0800 है0 की पत्थरगढी
कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी की आराजी में दर्ज
रेकार्ड है।

अतः प्रार्थी की ग्राम सामरी (पण्डा सामरी तहसील चित्तौड़गढ़) स्थित खातेदारी की भूमि आराजी
नम्बर खाता संख्या 465 में अंकित आराजी कीता 04 कुल
रकबा 0.1100 हे. तथा खाता संख्या 33 में अंकित आराजी
कीता 03 कुल रकबा 0.9700 हे.

कुल कीता $4+3=07$ रकबा 1.0800 है0 की बिना किसी कब्जे में दखलन्दाजी
किये, सेंटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगढी करने के आदेश दिये जाते है। पत्थरगढी का
खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क $10000=00$ रुपये अक्षरे 10 हजार 2000
प्रार्थी से वसूल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्णित हो। पत्रावली पालना प्राप्ति पर
पेश हो।

(बीनू देवल)

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)